

सरकार 45 साल की लीज पर देगी सब्सिडी वाले निजी बिजनेस पार्क

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने छोटी इकाइयों के लिए निजी बिजनेस पार्क नीति शुरू की है। इन पार्कों का विकास और संचालन निजी क्षेत्र की भागीदारी से होगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस दिशा में काम तेजी से बढ़ रहा है।

पहले चरण में न्यूनतम 10 एकड़ क्षेत्रफल वाले 10 बिजनेस पार्क विकसित किए जाएंगे। इनमें औद्योगिक, वाणिज्यिक और सेवा क्षेत्र के उद्यमियों को जगह मिलेगी। वैश्विक क्षमता केंद्र मॉडल के तहत 50 फीसदी इकाइयां ज्ञान आधारित उद्योगों के लिए आरक्षित होंगी। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार भविष्य की जरूरतों के अनुरूप पार्कों को डिजाइन करने पर जोर दे रही है।

इससे आईटी, रिसर्च और डिजाइन जैसे उच्च-मूल्य वाले सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। निजी डेवलपर्स को 45 साल की लीज पर सब्सिडी के साथ पार्क विकसित करने का मौका मिलेगा। इन पार्कों के डिजाइन, वित्तपोषण, निर्माण, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी निजी विकासकर्ताओं की होगी। हालांकि, भूमि का स्वामित्व राज्य के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के पास ही रहेगा। यह सार्वजनिक

एमएसएमई और स्टार्टअप्स को बढ़ावा, पहले चरण में 10 बिजनेस पार्क होंगे विकसित



नीति के प्रमुख बिंदु

निजी डेवलपर्स इन पार्कों का विकास और संचालन करेंगे। भूमि 45 वर्षों की लीज पर उपलब्ध कराई जाएगी। सब्सिडी और प्रोत्साहन के जरिये निवेश आकर्षित करने की योजना है। एमएसएमई और स्टार्टअप्स को इन पार्कों में प्राथमिकता मिलेगी। आधुनिक सुविधाओं से लैस प्लग-एंड-प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान किया जाएगा।

पार्कों की खासियत

ये बिजनेस पार्क न्यूनतम 10 एकड़ में विकसित होंगे। इनमें सड़क, बिजली, पानी और आईटी नेटवर्क जैसी सुविधाएं होंगी। एमएसएमई, स्टार्टअप और सेवा क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। वित्तीय प्रोत्साहन और सब्सिडी से परियोजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। यह नीति प्रदेश में औद्योगिक वृद्धि को गति देगी।

नियंत्रण और निजी क्षेत्र की दक्षता के बीच संतुलन स्थापित करेगा।